

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'बयासी'

[ 3/3/2016 ]

प्रश्न सं. [ क. 4164 ]

प्रश्न सं. 4164 का उत्तर दिनांक 03.03.2016

मध्य प्रदेश शासन  
ऊर्जा विभाग  
मंत्रालय

परिशिष्ट 1/2

क्रमांक 11680/एफ-7-02/2015/तेरह  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 2 DEC 2015

प्रबंध संचालक,  
म.प्र. पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,  
जबलपुर/भोपाल/इन्दौर।

विषय:- सूखे के कारण 50 प्रतिशत से अधिक प्रभावित फसलों वाले किसानों के बिजली बिलों के भुगतान के आस्थगन बाबत।

प्रदेश में सूखे के कारण निर्मित स्थिति के दृष्टिगत, राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि जिन किसानों की 50 प्रतिशत से अधिक क्षति हुई है, वहां जिला कलेक्टर द्वारा प्रमाणित सूची दिये जाने पर, इन किसानों के स्थाई कृषि पंप कनेक्शन के अक्टूबर, 2015 में जारी छः माही बिलों तथा 30 सितम्बर, 2015 की स्थिति में बकाया राशि की वसूली छः माह के लिए आस्थगित (Defered) रखते हुए, उन्हें बिजली बिल भुगतान से 31 मार्च 2016 तक छूट दी जाए। इन कृषकों से 1 अक्टूबर, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक की अवधि का कोई सरचार्ज भी नहीं लिया जाए।

2/ इन किसानों से वित्तीय वर्ष 2016-17 के प्रथम छः माही बिलिंग चक्र में :-

- (क) अप्रैल, 2016 में देय छः माही बिल,  
(ख) अक्टूबर, 2015 का आस्थगित बिल और  
(ग) 30 सितम्बर, 2015 तक की अवधि की यदि कोई बकाया राशि हो, तो उसे शामिल करते हुए,

सम्पूर्ण बिल की राशि अप्रैल, 2016 के बिल में ली जाए। उक्तानुसार प्रभावित किसानों के बिलों की आस्थगन अवधि का सरचार्ज नहीं लिया जाए।

3/ इन प्रभावित किसानों के लिए जिला कलेक्टर द्वारा प्रमाणित सूची जारी की जाएगी। प्रमाणित सूची कृषक के विद्युत कनेक्शन नंबर आदि की जानकारी दर्शाते हुए विद्युत वितरण कंपनी के संबंधित अधीक्षण अभियंता को उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे प्रभावित किसान के कनेक्शन को चिन्हित करने में कठिनाई नहीं आए एवं उन्हें शासन के निर्णय का पूर्ण लाभ मिल सके। कृषकों के विद्युत कनेक्शन के संबंध में प्रमाणित सूची का प्रारूप प्रपत्र-1 पर संलग्न है। कृपया अपने अधीनस्थ संबंधित क्षेत्र के अधीक्षण अभियंता (संचा./संघा.) को उक्त सूची जिला कलेक्टर से तत्काल प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया जाए। तत्संबंध में की गयी कार्यवाही से विभाग को तीन दिवस में अवगत कराया जाए।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(एम. श्रीवास्तव)  
निर्देश कर्तव्यस्थ अधिकारी  
म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग

क्रमांक /2015/तेरह/  
प्रतिलिपि :-

- (i) प्रबंध संचालक, एम.पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।  
(ii) कलेक्टर जिला .....। कृषकों के विद्युत कनेक्शन के संबंध में प्रमाणित सूची का प्रारूप प्रपत्र-1 पर संलग्न है, जिसके अनुसार विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण अभियंता (संचा. एवं संघा.) को प्रभावित किसानों के कृषि पंपों की सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध है।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग

प्रपत्र -1

जिन किसानों की 50 प्रतिशत से अधिक फसल की क्षति हुई है उनके स्थानों का लोकेशन की प्रमाणित सूची

क्र.	किसान का नाम एवं ग्राम	विकासखंड / तहसील	विद्युत वितरण केंद्र का नाम	विजली बिल का क्रमांक
1	2	3	4	5

*Prabir*  
अनुभाग अधिकारी  
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग,  
मंत्रालय, भोपाल

*G. Jaiswal*

विद्युत कर्तव्यस्थ अधिकारी  
म. प्र. शासन, ऊर्जा विभाग  
मंत्रालय, भोपाल